



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 2581 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 21 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0 एच0 119/534 कि0मी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि0मी0 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे0 (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संम्बन्ध में।
(Online No-FP/UK/Road/45326/2020)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक संख्या- 8बी0/यू0सी0पी0/06/64/2022/एफ0सी0/1104, दिनांक: 23.11.2023 एवं Addendum पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/64/2022/एफ0सी0/ दिनांक 02.05.2024 ।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की पत्र संख्या-4619/12-1 दिनांक 14.06.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-1
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्नक है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 48.00 हे0 अवनत वन भूमि पौड़ी रेंज में अदवानी कक्ष संख्या0 6अ व 6ब , 7 एवं 8 तथा पूर्वी अमोली कक्ष संख्या 25 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षीय योजना की धनराशि रू0 2,15,41,968.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-02)

	से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	
ख	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-3
ग	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। संलग्न-4
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0-2,35,89,263.00 तदर्थ कैम्पा कोष में दि0 07.03.2024 को जमा किये गये हैं। संलग्न-4
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि 'बचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-5
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 6370 पेड़ और 2375 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6

	अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	
7	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर0ओ0डब्ल्यू0 में आने वाले कुल पेड़े में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-7
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार् के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जाएगा। संलग्न-8
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टलम (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-10)
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-11
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से अपेक्षित है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
15	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13

16	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
18	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर थ्वतूंतकध्ठंबूतक ठमंतपदहे अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-थ् दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।

26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
----	--	--

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या- 2581 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, कोटद्वार।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।